



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 619]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 9, 2010/कार्तिक 18, 1932

No. 619]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 9, 2010/KARTIKA 18, 1932

संसदीय कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 2010

सा.का.नि. 895(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संसदीय कार्य मंत्रालय, उप सचिव भर्ती नियम, 2002 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, संसदीय कार्य मंत्रालय में उप सचिव के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उप सचिव समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2010 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड/ग्रेड वेतन और वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, उनका वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता :—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद है अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
-----------	----------------	----------	------------------------------------	------------------------	--	---

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
उप सचिव	*2 (2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित (अननुसचिवीय)	वे. बैं.-3 (15600-39100 रु.) धन ग्रेड वेतन 7600 रु.	चयन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

(11)	(12)
------	------

प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति : वेतन बैंड-3, 15600-39100 रु. और ग्रेड वेतन 6600 रु. के वेतनमान में ऐसा अवर सचिव जिसने इस क्षेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है।

टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष में, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, तारीख 1 जनवरी, 2006/वह तारीख जिसको छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग की पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्समान ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई समझी जाएगी, सिवाय इसके कि जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का विलयन एक ग्रेड में सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमान में किया गया है और जहां इस फायदे का विस्तार केवल ऐसे पद (पदों) के लिए किया जाएगा जो बिना किसी उन्नयन के ग्रेड वेतन या वेतनमान सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।

(12)

प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र के ऐसे अधिकारी,—
(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित-आधार पर सदृश पद धारित किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग के वेतन बैंड-3, 15600-39100 रु. और ग्रेड वेतन 6600 रु. या समतुल्य के वेतनमान में नियुक्ति के पश्चात् नियमित आधार पर इस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की है; और

(ख) जिनके पास प्रशासन संबंधी दस वर्ष का अनुभव है जसमें संसदीय या विधायी कृत्यों में तीन वर्ष का अनुभव भी सम्मिलित है।

टिप्पण 1 : फीडर प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं वे प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे और इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 4 : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, तारीख 1 जनवरी, 2006 (वह तारीख जिसको छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है) से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्समान ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी सिवाय इसके कि जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का विलयन एक ग्रेड में सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमान में किया गया है और जहां इस फायदे का विस्तार केवल ऐसे पद (पदों) के लिए किया जाएगा जो बिना किसी उन्नयन के ग्रेड वेतन या वेतनमान सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(13)

(14)

समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-

प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

- | | |
|---------------------------------|----------|
| 1. अध्यक्ष/सदस्य, लोक सेवा आयोग | —अध्यक्ष |
| 2. सचिव | —सदस्य |
| 3. संयुक्त सचिव | —सदस्य |

[फा. सं. 4(1) 2009-प्रशासन]

यू. एस. चट्टोपाध्याय, अवर सचिव